जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2013-2014

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय – वार्षिक लेखा 2013-2014

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन–पत्र	1
2	आय और व्यय लेखा	2
	31.03.2014 के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ	
3	अनुसूची–1 पूंजीगत निधि	3
4	अनुसूची–2 समग्र निधि	4
5	अनुसूची–3 उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	5
6	अनुसूची–4 वर्तमान देयताएं और प्रावधान	6
7	अनुसूची–4.5 (ई) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	7
8	अनुसूची–5 स्थायी परिसम्पत्ति	8
9	अनुसूची–5क स्थायी परिसम्पत्ति (योजनागत)	9
10	अनुसूची–5ख स्थायी परिसम्पत्ति (योजनेत्तर)	10
11	अनुसूची–5ग स्थायी परिसम्पत्ति (अन्य)	11
12	अनुसूची–5घ अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति (पेटेंट्स और कापीराइट)	12
13	अनुसूची–6 समग्र निधि और उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश	13
14	अनुसूची–7 वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण व अग्रिम	14–16
	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की अनुसूचियाँ	
15	अनुसूची–8 अनुदान/सहायिकी (अटल अनुदान और प्राप्त सहायिकी)	17
16	अनुसूची–9 शैक्षिक प्राप्तियाँ	18
17	अनुसूची–10 निवेशों से आय	19

18	अनुसूची–11 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से प्राप्त आय	20
19	अनुसूची–12 अर्जित ब्याज	21
20	अनुसूची–13 अन्य आय	22
21	अनुसूची–14 पूर्व अवधि की आय	23
22	अनुसूची–15 स्थापना व्यय	24
23	अनुसूची–15'क' कर्मचारी सेवा निवृत्ति और सेवांत हितलाभ	25
24	अनुसूची–16 शैक्षिक व्यय	26
25	अनुसूची–17 प्रशासनिक व्यय	27
26	अनुसूची–18 मरम्मत और अनुरक्षण	28
27	अनुसूची–19 पूर्व अवधि के व्यय	29
	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियाँ	
28	अनुसूची–20 विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ	30–36
29	अनुसूची–21 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ	37–39
30	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा	40
	भविष्य निधि और नई पेंशन योजना के लेखे	
31	तुलन–पत्र – भविष्य निधि खाता	41
32	आय और व्यय लेखा – भविष्य निधि	42
33	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा – भविष्य निधि	43
34	तुलन–पत्र – नई पेंशन योजना	44
35	आय और व्यय लेखा – नई पेंशन योजना	45
36	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा – नई पेंशन योजना	46
	लेखओं की लेखा–परीक्षा	
37	लेखाओं पर पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन	47–49
38	पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियां	50–54

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रुपयों में)

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि	1	–	–
समग्र निधि	2	24,46,99,197	22,03,28,460
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	93,56,48,411	89,77,32,991
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	8,29,73,37,029	7,62,01,87,026
योग		**9,47,76,84,637**	**8,73,82,48,477**
परिसम्पत्ति			
स्थायी परिसम्पत्ति (निवल ब्लाक)	5	3,32,01,60,457	3,20,71,09,273
पेटेंट् और कापीराइट	5डी	43,78,471	40,64,403
निवेश–उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	6	98,80,58,848	75,55,25,587
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम	7	2,77,19,01,364	2,73,58,24,505
पूंजीगत निधि	–	2,39,31,85,497	2,03,57,24,709
योग		**9,47,76,84,637**	**8,73,82,48,477**
विशिष्ट लेखाकरण नीतियाँ	20		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर नोट	21		

मयंक कश्यप
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

राकेश कुमार वर्मा, (भा.ले. व ले.प.से.)
वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. आय			
सहायतार्थ अनुदान/सहायिकी	8	2,43,58,43,354	2,28,38,28,323
शैक्षिक प्राप्तियाँ	9	6,64,48,863	6,52,74,792
निवेशों से आय	10	6,31,28,551	4,31,25,460
रॉयल्टी, प्रकाशनों से आय	11	10,35,330	8,58,084
अर्जित ब्याज	12	4,18,23,429	4,35,64,764
अन्य आय	13	7,97,53,745	7,64,98,800
पूर्व अवधि की आय	14	19,13,936	9,65,258
योग (क)		**2,68,99,47,208**	**2,51,41,15,481**
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	15	2,23,76,66,944	2,45,81,67,757
शैक्षिक व्यय	16	31,83,01,908	32,92,60,218
प्रशासनिक व्यय	17	50,28,30,648	42,43,03,026
मरम्मत व रखरखाव	18	7,58,99,220	5,46,19,773
मूल्यह्रास	5	17,46,94,812	16,89,67,892
पूर्व अवधि के व्यय	19	2,75,54,909	4,86,89,021
योग (ख)		**3,33,69,48,441**	**3,48,40,07,687**
अधिशेष/(कमी) होने के कारण पूंजीगत निधि (क–ख) में अग्रेनीत किया गया शेष		–64,70,01,233	–96,98,92,206
विशिष्ट लेखाकरण नीतियाँ	20		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर नोट	21		

मयंक कश्यप
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

राकेश कुमार वर्मा, (भा.ले. व ले.प.से.)
वित्त अधिकारी

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची–1 पूंजीगत निधि

राशि रुपयों में

विवरण		चालू वर्ष 2013–14	पिछला वर्ष 2012–13
	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	–2,03,57,24,709	–1,45,65,49,718
जमा –	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का पूंजीगत खर्च के लिए उपयोग	28,53,21,634	38,59,13,508
जमा –	समग्र निधि और उद्दिष्ट निधि से खरीदी गई परिसम्पत्ति	9,75,978	29,10,022
जमा –	दान की गई परिसम्पत्ति/प्राप्त उपहार	8,47,559	3,68,867
जमा –	प्रायोजित परियोजना निधियों से खरीदी गई परिसम्पत्ति	23,95,275	15,24,818
जमा –	अन्य परिवर्धन	–	–
	योग	**–1,74,61,84,263**	**–1,06,58,32,503**
घटा –	आय और व्यय लेखा से अंतरित घाटा	–64,70,01,233	–96,98,92,206
	वर्ष के अंत में शेष	**–2,39,31,85,497**	**–2,03,57,24,709**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–2 समग्र निधि

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–2014	पिछला वर्ष 2012–2013
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	22,03,28,460	20,11,36,465
जमा – मान्यता शुल्क और प्रभार	1,37,49,816	1,10,35,110
जमा – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरूपी अंशदान	–	–
जमा – परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का अंश	5,46,320	–
जमा – ब्याज और निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	1,44,21,611	1,03,15,039
जमा – बचत बैंक खाते पर ब्याज	19,88,023	16,08,473
योग	**25,10,34,230**	**22,40,95,087**
घटा – राजस्व व्यय	63,35,033	37,66,627
घटा – पूंजीगत व्यय	–	–
योग	**63,35,033**	**37,66,627**
वर्ष के अंत में शेष	**24,46,99,197**	**22,03,28,460**

निम्न के द्वारा प्रस्तुत

बैंक शेष	1,27,35,345	4,29,24,867
निवेश – भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार बाँड	2,92,00,000	2,92,00,000
निवेश – टीडीआर	19,11,43,638	13,73,43,638
प्रोद्भूत ब्याज	1,16,20,214	1,08,59,955
योग	**24,46,99,197**	**22,03,28,460**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–3 : उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

निधिवार विवरण										
विवरण	शैक्षिक विकास निधि	गृह निर्माण अग्रिम निधि	निप्पन फाउंडेशन निधि	वि.अ.आ., जेआरएफ निधि	सवारी निधि	एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी निधि केंद्र	राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि	अक्षय निधि	योग
क. अथ शेष	14,60,23,402	16,02,13,832	6,59,37,661	2,34,01,717	4,16,68,617	21,21,694	87,673	25,03,49,186	20,79,29,209	89,77,32,991
ख. वर्ष के दौरान परिवर्धन	8,07,951	36,14,480	70,61,400	22,00,00,000	28,11,858	–	–	2,95,800	48,84,317	23,94,75,806
ग. निधियों के निवेश से आय	30,46,683	21,79,357	13,09,030	–	–	15,094	–	1,24,70,880	1,45,21,864	3,35,42,908
घ. निवेश से प्रोदभूत ब्याज/अग्रिम	27,00,,862	40,91,557	10,27,942	–	12,80,102	–	–	97,60,596	–	1,88,61,059
ङ. बचत बैंक खाता पर ब्याज	30,29,513	37,58,532	1,04,669	8,19,366	11,76,608	–	2,683	8,05,326	8,32,077	1,05,28,774
योग (क)	15,56,08,411	17,38,57,758	7,54,40,702	24,42,21,083	4,69,37,185	21,36,788	90,357	27,36,81,788	22,81,67,467	1,20,01,41,538

ख. निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय

i) राजस्व व्यय	4,53,435	4,73,552	1,53,826	21,52,59,566	13,07,000	20,000	–	3,88,86,084	69,63,686	26,35,17,149
ii) पूंजीगत व्यय	99,537	–	–	–	–	8,76,441	–	–	–	9,75,978
योग (ख)	5,52,972	4,73,552	1,53,826	21,52,59,566	13,07,000	8,96,441	–	3,88,86,084	69,63,686	26,44,93,127
वर्ष के अंत में अंतशेष (क–ख)	15,50,55,439	17,33,84,206	7,52,86,876	2,89,61,517	4,56,30,185	12,40,347	90,357	23,47,95,704	22,12,03,781	93,56,48,411

निम्नानुसार दर्शाया जाता है

रोकड़ और बैंक शेष	1,12,53,191	1,31,56,566	54,62,390	2,89,61,517	1,65,31,240	9,86,733	90,357	1,55,00,089	3,50,17,098	12,69,59,180
निवेश	14,10,00,000	14,25,00,000	6,87,96,544	–	2,00,00,000	2,53,614	–	20,95,35,019	18,56,30,033	76,77,15,210
प्रोदभूत परंतु अप्राप्य ब्याज	27,00,862	1,77,27,640	10,27,942	–	90,98,945	–	–	97,60,596	–	4,03,15,985
अग्रिम/निधि से अग्रिम प्राप्त होने वाली राशियाँ	1,01,386	–	–	–	–	–	–	–	5,56,650	6,58,036
चालू वर्ष (2013–14)	15,50,55,439	17,33,84,206	7,52,86,876	2,89,61,517	4,56,30,185	12,40,347	90,357	23,47,95,704	22,12,03,781	93,56,48,411

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–4 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

राशि रुपयों में

क. वर्तमान देयताएं	चालू वर्ष 2013–14	पिछला वर्ष 2012–2013
1. जमा		
क. स्टाफ से	17,31,001	15,38,665
ख. छात्रों से –		
i पुस्तकालय जमा	1,24,350	1,24,350
ii छात्रावास प्रतिभूति	26,700	26,700
iii प्रतिभूति जमा	15,62,118	15,62,118
iv पाठ्येत्तर गतिविधियाँ	14,57,959	11,43,193
ग. आपूर्तिकर्ता और संविदाओं से		
i बयाना जमा	13,03,339	15,48,658
ii प्रतिभूति जमा	57,24,354	61,50,766
घ. अन्य निधियाँ		
i कुलपति विवेक निधि	3,02,493	3,46,061
ii अलुमनी एसोसिएशन निधि	23,93,320	20,36,412
iii छात्र सहायता निधि	23,90,464	20,89,332
ङ. अन्य जमा	1,88,26,122	1,86,77,283
2. सांविधिक देयताएं (जी.आई.एस., जी.पी.एफ., टी.डी.एस., वर्क कंट्रेक्ट टेक्स आदि)		
क. अतिदेय	–	–
ख. अन्य	2,82,26,519	2,57,98,393
3. अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन	6,38,26,149	5,31,39,667
ख) चल रही प्रायोजित/परामर्श/परियोजनाओं हेतु प्राप्तियाँ (निवल व्यय)	47,30,44,397	53,43,88,254
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियों हेतु प्राप्तियाँ	22,37,23,064	18,08,83,644
घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदान–अग्रेनीत	91,17,62,470	77,57,52,245
ङ) अन्य (व्यौरा दें)		
i एस. क्रेडिटर्स सहित बकाया देयताएं	2,13,00,223	2,31,51,038
ii अन्य चालू देयताएं	30,93,543	37,57,808
4. अग्रिम स्वरूप प्राप्त आय	29,89,557	22,93,532
योग (क)	1,76,38,08,141	1,63,44,08,118

ख. प्रावधान	चालू वर्ष 2013–14	पिछला वर्ष 2012–2013
1. अधिवर्षिता/पेंशन	5,59,70,13,629	5,07,00,74,997
2. उपदान	52,15,94,675	52,96,47,628
3. छुट्टी नकदीकरण	41,49,20,584	38,60,56,283
योग (ख)	6,53,35,28,888	5,98,57,78,908
योग (क + ख)	8,29,73,37,029	7,62,01,87,026

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–4.3 (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि रुपयों में

		चालू वर्ष 2013–2014	पिछला वर्ष 2012–2013
क.	योजना अनुदान : भारत सरकार		
	शेष अग्रानीत	9,98,10,551	9,84,38,158
	जमा – वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	51,27,500	1,48,74,600
	योग (क)	**10,49,38,051**	**11,33,12,758**
	घटा – धन–वापसी		–
	घटा – राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	59,04,093	80,36,995
	घटा – पूँजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	1,21,81,405	54,65,212
	योग (ख)	**1,80,85,498**	**1,35,02,207**
	अप्रयुक्त अग्रेनीत योग (क–ख)	**8,68,52,553**	**9,98,10,551**
ख.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान : योजनागत		
	शेष अग्रानीत	67,59,41,694	1,12,52,48,688
	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	45,57,10,219	24,14,86,433
	योग (ग)	**1,13,16,51,913**	**1,36,67,35,121**
	घटा – धन–वापसी	20,38,506	14,83,803
	घटा – राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	34,64,12,318	32,41,60,273
	घटा – पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	26,60,95,172	36,51,49,351
	योग (घ)	**59,45,45,996**	**69,07,93,427**
	अप्रयुक्त अग्रेनीत योग (ग–घ)	**53,71,05,917**	**67,59,41,694**
ग.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान : योजनेत्तर		
	शेष अग्रानीत	–	–
	जमा – वर्ष के दौरान प्राप्तियां	**2,39,83,76,000**	1,96,69,30,000
	योग (ङ)	**2,39,83,76,000**	1,96,69,30,000
	घटा – पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	2,08,35,26,943	1,95,16,31,055
	घटा – पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	**2,70,45,057**	**1,52,98,945**
	योग (च)	2,11,05,72,000	1,96,69,30,000
	अप्रयुक्त अग्रेनीत योग (ङ–च)	28,78,04,000	–
	कुल योग (क+ख+ग)*	**91,17,62,470**	**77,57,52,245**

नोट : *इसमें वर्ष 2014–15 के लिए अग्रिम अनुदान तथा पूंजीगत खाता पेशगियां शामिल हैं।

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–5 स्थायी परिसंपत्ति

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्ति शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2013–14 के लिए मूल्यह्रास				नेट ब्लाक	
		अथशेष 01.04.13	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2014	31.03.2013
1	भूमि	21,08,53,672	–	–	21,08,53,672	–	–	–	–	21,08,53,672	21,08,53,672
2	स्थल विकास	7,03,58,991	5,54,798	–	7,09,13,789	–	–	–	–	7,09,13,789	7,03,58,991
3	भवन	93,45,41,404	4,81,127	–	93,50,22,531	19,18,44,678	1,87,00,451	–	21,05,45,129	72,44,77,402	74,26,96,726
4	सड़क व पुल	2,03,02,091	–	–	2,03,02,091	13,29,799	4,06,042	–	17,35,840	1,85,66,251	1,89,72,292
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	3,76,09,660	6,68,535	–	3,82,78,195	68,15,302	7,65,564	–	75,80,866	3,06,97,329	3,07,94,358
6	सीवर और जल निकास	24,16,129	–	–	24,16,129	11,31,117	48,323	–	11,79,439	12,36,690	12,85,012
7	विद्युत संस्थापन और उपकरण	15,44,36,226	54,64,495	15,09,241	15,83,91,480	7,97,73,494	79,19,574	9,12,141	8,67,80,927	7,16,10,552	7,46,62,731
8	संयंत्र व मशीनरी	1,61,18,350	8,50,910	–	1,69,69,260	84,81,925	8,48,463	–	93,30,388	76,38,872	76,36,425
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	86,61,33,425	5,11,41,881	1,10,92,291	90,61,83,015	50,21,99,956	7,24,94,641	1,00,49,696	56,46,44,901	34,15,38,114	36,39,33,470
10	कार्यालय उपकरण	3,18,61,512	35,81,616	5,02,936	3,49,40,192	2,79,19,568	26,20,514	4,18,043	3,01,22,039	48,18,152	39,41,944
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	5,93,77,249	21,84,724	50,95,959	5,64,66,014	4,15,29,903	42,34,951	50,84,172	4,06,80,682	1,57,85,332	1,78,47,346
12	कंप्यूटर और पेरिफिरल्स	34,22,90,034	1,97,62,490	38,76,505	35,81,76,019	27,38,01,669	2,94,55,732	38,49,785	29,94,07,616	5,87,68,402	6,84,88,365
	साफ्टवेयर	4,67,61,747	14,89,757	–	4,82,51,504	4,54,47,567	26,54,852	–	4,81,02,419	1,49,085	13,14,180
13	फर्नीचर; जुड़नार और फिटिंग्स	16,49,62,496	88,64,503	8,08,082	17,30,18,917	10,18,41,719	1,29,76,419	7,76,730	11,40,41,408	5,89,77,508	6,31,20,776
14	वाहन	76,27,128	50,892	3,271	76,74,749	71,46,760	95,917	3,082	72,39,595	4,35,343	4,80,368
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	55,14,48,787	2,92,01,236	–	58,06,50,023	46,32,27,980	1,75,30,870	–	48,07,58,850	9,98,91,173	8,82,20,808
	ई–पत्रिकाएं	3,23,10,500	15,83,269	–	3,38,93,769	2,98,10,265	23,19,226	–	3,21,29,491	17,64,278	25,00,235
16	कम मूल्य की परिसंपत्ति	36,23,178	16,23,274	–	52,46,452	36,23,178	16,23,274	–	52,46,452	–	–
17	अन्य	7,63,63,000	–	–	7,63,63,000	7,63,62,999	–	–	7,63,62,999	1	1
	योग :	3,62,93,95,578	12,75,03,507	2,28,88,285	3,73,40,10,800	1,86,22,87,878	17,46,94,812	2,10,93,649	2,01,58,89,042	1,71,81,21,946	1,76,71,07,700
18	चालू पूँजीगत कार्य	1,44,00,01,572	16,20,36,939	–	1,60,20,38,511	–	–	–	–	1,60,20,38,511	1,44,00,01,572
	कुल योग	5,06,93,97,151	28,95,40,446	2,28,88,285	5,33,60,49,312	1,86,22,87,878	17,46,94,812	2,10,93,649	2,01,58,89,042	3,32,01,60,457	3,20,71,09,273

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–5क योजनागत

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्ति शीर्ष	सकल ब्लॉक				वर्ष 2013–2014 के लिए मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		अथशेष 01.04.2013	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2014	31.03.2013
1	भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	स्थल विकास	1,50,57,043	5,54,798	–	1,56,11,841	–	–	–	–	1,56,11,841	1,50,57,043
3	भवन	55,88,37,122	4,81,127	–	55,93,18,249	4,45,89,168	1,11,86,365	–	5,57,75,533	50,35,42,716	51,42,47,954
4	सड़क व पुल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	2,40,70,675	3,61,785	–	2,44,32,460	28,10,863	4,88,649	–	32,99,512	2,11,32,948	2,12,59,812
6	सीवर और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	विद्युत संस्थापन और उपकरण	4,45,29,098	44,70,866	–	4,89,99,964	98,19,842	24,49,998	–	1,22,69,840	3,67,30,124	3,47,09,256
8	संयंत्र व मशीनरी	90,15,450	8,31,789	–	98,47,239	18,45,396	4,92,362	–	23,37,758	75,09,481	71,70,054
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	62,12,35,546	5,02,77,996	–	67,15,13,542	20,83,88,912	5,36,01,083	–	26,19,89,995	40,95,23,547	41,28,46,634
10	कार्यालय उपकरण	79,40,260	29,61,955	–	1,09,02,215	25,85,733	8,17,666	–	34,03,399	74,98,816	53,54,527
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	3,50,91,290	20,38,045	–	3,71,29,335	92,30,593	27,84,700	–	1,20,15,293	2,51,14,042	2,58,60,697
12	कंप्यूटर और पेरिफिरल्स	19,93,05,166	1,74,75,185	–	21,67,80,351	17,26,73,704	4,33,56,070	–	21,60,29,774	7,50,577	2,66,31,462
	साफ्टवेयर	3,94,74,136	8,36,634	–	4,03,10,770	3,79,15,020	18,93,769	–	3,98,08,789	5,01,981	15,59,116
13	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	8,22,69,089	55,21,083	–	8,77,90,172	2,91,76,103	65,84,263	–	3,57,60,366	5,20,29,806	5,30,92,986
14	वाहन	19,09,567	40,204	–	19,49,771	13,29,245	1,94,977	–	15,24,222	4,25,549	5,80,322
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	18,49,58,950	78,69,933	–	19,28,28,883	7,54,34,054	1,92,82,888	–	9,47,16,942	9,81,11,941	10,95,24,896
	ई–पत्रिकाएं	2,90,84,141	15,83,269	–	3,06,67,410	2,65,66,035	31,51,413	–	2,97,17,448	9,49,962	25,18,106
16	कम मूल्य की परिसंपत्ति	22,97,520	9,34,969	–	32,32,489	22,97,520	9,34,969	–	32,32,489	–	–
17	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	1,85,50,75,053	9,62,39,638	–	1,95,13,14,691	62,46,62,187	14,72,19,173	–	77,18,81,360	1,17,94,33,331	1,23,04,12,866
18	चालू पूंजीगत कार्य	1,19,34,30,581	16,20,36,939	–	1,35,54,67,520	–	–	–	–	1,35,54,67,520	1,19,34,30,581
	कुल योग (1–18)	3,04,85,05,634	25,82,76,577	–	3,30,67,82,211	62,46,62,187	14,72,19,173	–	77,18,81,360	2,53,49,00,851	2,42,38,43,447

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–5 ख योजनेत्तर

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्ति शीर्ष	सकल ब्लॉक				वर्ष 2013–14 के लिए मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		अथशेष 01.04.13	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2014	31.03.2013
1	भूमि	18,64,00,000	–	–	18,64,00,000	–	–	–	–	18,64,,00,000	18,64,,00,000
2	स्थल विकास	14,34,798	–	–	14,34,798	–	–	–	–	14,34,798	14,34,798
3	भवन	8,46,134	–	–	8,46,134	78,668	16,923	–	95,591	7,50,543	7,67,466
4	सड़क व पुल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	48,52,157	3,06,750	–	51,58,907	4,91,905	1,03,178	–	5,95,083	45,63,824	43,60,252
6	सीवर और जल निकास	95,409	–	–	95,409	17,174	1,908	–	19,082	76,327	78,235
7	विद्युत संस्थापन और उपकरण	4,27,56,405	9,93,629	–	4,37,50,034	1,37,93,707	21,87,502	–	1,59,81,209	2,77,68,825	2,89,62,698
8	संयंत्र व मशीनरी	31,68,996	19,121	–	31,88,117	9,93,287	1,59,406	–	11,52,693	20,35,424	21,75,709
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	7,36,62,656	8,26,929	–	7,44,89,585	4,32,57,077	59,59,167	–	4,92,16,244	2,52,73,341	3,04,05,579
10	कार्यालय उपकरण	96,92,080	6,19,661	–	1,03,11,741	41,69,436	7,73,381	–	49,42,817	53,68,924	55,22,644
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	44,63,170	1,46,679	–	46,09,849	17,47,538	3,45,739	–	20,93,276	25,16,573	27,15,632
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	3,53,73,360	22,77,806	–	3,76,51,166	3,42,57,333	15,71,587	–	3,58,28,920	18,22,246	11,16,027
	साफ्टवेयर	70,87,917	6,53,123	–	77,41,040	70,25,070	3,24,095	–	73,49,165	3,91,875	62,847
13	फर्नीचर; जुड़नार और फिटिंग्स	3,69,28,663	33,35,020	–	4,02,63,683	1,68,22,862	30,19,776	–	1,98,42,639	2,04,21,044	2,01,05,800
14	वाहन	17,63,169	10,688	–	17,73,857	11,25,878	1,77,386	–	13,03,263	4,70,594	6,37,291
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	7,99,27,376	1,71,67,346	–	9,70,94,722	5,32,48,955	97,09,472	–	6,29,58,428	3,41,36,294	2,66,78,421
	ई–पत्रिकाएं	32,26,359	–	–	32,26,359	32,26,358	–	–	32,26,358	1	1
16	कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ	13,11,002	6,88,305	–	19,99,307	13,11,002	6,88,305	–	19,99,307	–	–
17	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग :	49,29,89,650	2,70,45,057	–	52,00,34,707	18,15,66,250	2,50,37,824	–	20,66,04,074	31,34,30,633	31,14,23,400
18	चालू पूंजीगत कार्य	8,02,65,388	–	–	8,02,65,388	–	–	–	–	–	8,02,65,388
	कुल योग (1–18)	57,32,55,038	2,70,45,057	–	60,03,00,095	18,15,66,250	2,50,37,824	–	20,66,04,074	31,34,30,633	39,16,88,788

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–5 ग अन्य

क्र. सं.	परिसम्पत्ति शीर्ष	समग्र ब्लॉक				वर्ष 2013–14 के लिए मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		अथशेष 01.04.13	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2014	31.03.2013
1	भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	स्थल विकास	–		–	–	–	–	–	–	–	–
3	भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	सड़क व पुल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	सीवर और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	विद्युत संस्थापन और उपकरण	53,016	–	–	53,016	7,702	2,651	–	10,353	42,663	45,314
8	संयंत्र व मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	51,72,013	36,956	–	52,08,969	9,96,293	4,16,718	–	14,13,010	37,95,959	41,75,720
10	कार्यालय उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	18,65,937	9,499	–	18,75,436	7,46,706	3,75,087	–	11,21,793	7,53,643	11,19,231
	साफ्टवेयर	1,99,694	–	–	1,99,694	1,75,363	24,330	–	1,99,693	1	24,331
13	फर्नीचर; जुड़नार और फिटिंग्स	6,07,562	8,400	–	6,15,962	82,970	46,197	–	1,29,167	4,86,795	5,24,592
14	वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	81,43,558	41,63,957	–	1,23,07,515	14,79,019	12,30,752	–	27,09,770	95,97,745	66,64,539
	ई–पत्रिकाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ	14,656	–	–	14,656	14,655	–	–	14,655	1	–
17	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	1,60,56,436	42,18,812	–	2,02,75,248	35,02,709	20,95,734	–	55,98,442	1,46,76,806	1,25,53,727
18	चालू पूंजीगत कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग (1–18)	1,60,56,436	42,18,812	–	2,02,75,248	35,02,709	20,95,734	–	55,98,442	1,46,76,806	1,25,53,727

नोट : वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन में निम्न परिवर्धन शामिल हैं :

दान किए गए	8,47,559
शैक्षिक विकास निधि	99,537
एक्जिम बैंक पुस्तकालय	8,76,441
प्रायोजित परियोजना	23,95,275
योग	42,18,812

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–5घ : पेटेंट और कापीराइट

राशि रुपयों में

विवरण	अथशेष	परिवर्धन	कुल	परिशोधन	नेट ब्लॉक 2013–2014	नेट ब्लॉक 2012–2013
क. मंजूर किए गए पेटेंट						
1. वर्ष 2008–09 में प्राप्त पेटेंट्स के 31.3.2014 को शेष (मूल कीमत रुपये 34,050/–)	15,134	–	15,134	3,783	11,351	15,134
2. वर्ष 2010–11 में प्राप्त पेटेंट्स के 31.3.2014 को शेष (मूल कीमत रुपये 8,73,549/–)	5,82,366	–	5,82,366	97,061	4,85,305	5,82,366
3. वर्ष 2012–13 में प्राप्त पेटेंट्स के 31.3.2014 को शेष (मूल कीमत रुपये 10,07,965/–)	8,95,969	–	8,95,969	1,11,996	7,83,973	8,95,969
4. चालू वर्ष के दौरान मंजूर किए गए पेटेंट	–	1,80,268	1,80,268	20,030	1,60,238	–
योग	**14,93,469**	**1,80,268**	**16,73,737**	**2,32,870**	**14,40,867**	**14,93,469**

विवरण	अथशेष	परिवर्धन	कुल	मंजूर/रद्द किए गए पेटेंट	नेट ब्लॉक 2013–2014	नेट ब्लॉक 2012–2013
ख. लंबित पेटेंट						
1. लंबित निर्णय के लिए आवेदित पेटेंट के संबंध में वर्ष 2009–10 से 2011–2012 के दौरान वहन किया गया खर्च	19,29,844	–	19,29,844	1,80,268	17,49,576	19,29,844
2. लंबित निर्णय के लिए आवेदित पेटेंट के संबंध में वर्ष 2012–13 के दौरान वहन किया गया खर्च	6,41,090	–	6,41,090	–	6,41,090	6,41,090
3. लंबित निर्णय के लिए आवेदित पेटेंट के संबंध में वर्ष 2013–14 के दौरान वहन किया गया खर्च	–	5,46,938	5,46,938	–	5,46,938	–
कुल	**25,70,934**	**5,46,938**	**31,17,872**	**1,80,268**	**29,37,604**	**25,70,934**
ग. कुल योग (क + ख)	**40,64,403**	**7,27,206**	**47,91,609**	**4,13,138**	**43,78,471**	**40,64,403**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–6 : समग्र निधि और उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश

निवेश	चालू वर्ष 2013–2014	पिछला वर्ष 2012–2013
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	–	–
3. डिबेंचर और बाँड	10,99,51,000	9,37,78,560
4. अन्य आवधिक बैंक जमा रसीद	87,81,07,848	66,17,47,027
योग	**98,80,58,848**	**75,55,25,587**

उद्दिष्ट/अक्षय निधि (निधि–वार)

निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. समग्र निधि निवेश	22,03,43,638	16,65,43,638
2. शैक्षिक विकास निधि निवेश	14,10,00,000	6,10,00,000
3. गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश	14,25,00,000	3,75,00,000
4. एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	2,53,614	–
5. निप्पन फाउन्डेशन निधि निवेश	6,87,96,544	5,94,32,382
6. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि निवेश	20,95,35,019	23,95,35,019
7. अक्षय निधि निवेश	18,56,30,033	19,15,14,548
8. सवारी निधि निवेश	2,00,00,000	–
योग	**98,80,58,848**	**75,55,25,587**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–7 : वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम

विवरण		चालू वर्ष 2013–2014	पिछला वर्ष 2012–2013
क. वर्तमान परिसम्पत्ति			
1. वस्तु सूचियाँ – लेखन सामग्री, सफाई सामग्री, भवन सामग्री, विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला रसायन और अन्य सामग्री तथा जल आपूर्ति सामग्री		71,34,953	1,21,37,889
2. रोकड़ और बैंक शेष			
क. हाथ रोकड़ (स्टाम्प्स, अग्रदाय रोकड़ और चैक/ड्राफ्ट सहित)		3,77,865	3,16,222
ख. अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष			
– बचत खातों में	85,60,68,838		
– चालू खातों में	2,74,40,920		
– जमा खाता (आवधिक जमा सहित) में	1,54,95,93,765	2,43,31,03,523	2,48,74,84,038
योग (क)		**2,44,06,16,340**	**2,49,99,38,149**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

विवरण	चालू वर्ष 2013–2014	पिछला वर्ष 2012–2013
ख. ऋण और अग्रिम		
क. ऋण	–	–
ख. कर्मचारियों को अग्रिम (बिना ब्याज के)	–	–
– त्योहार	9,50,761	9,64,061
– छुट्टी यात्रा रियायत	39,65,026	20,25,807
ग. नकदस्वरूप या वस्तु या प्राप्य मूल्य के बदले वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशियाँ		
– उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	4,76,17,605	4,57,31,038
– पूंजीगत खाता पर अग्रिम – सिविल कार्य	7,62,68,401	82,92,301
– उद्दिष्ट निधि अग्रिम	1,01,386	1,01,304
– अन्य निधि अग्रिम	–	–
– अन्य	7,88,35,680	6,08,66,422
घ. पूर्वदत्त व्यय		
– बीमा	–	–
– अन्य व्यय	27,08,597	16,90,237
ङ. प्रोदभूत परंतु अप्राप्य आय		
– निवेश से	–	–
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	1,34,89,400	1,09,72,974
जमा खाता	5,25,892	5,39,421
समग्र निधि	1,16,20,214	1,08,59,955
प्रायोजित परियोजना	1,60,99,505	1,71,53,410
रखरखाव खाता	1,15,59,458	95,86,257
योजनागत खाता में से किया गया आवधिक जमा	2,00,84,148	2,13,28,540
– कर्मचारियों को ब्याज पर दिए गए अग्रिम	2,76,83,326	2,97,35,180
च. अन्य चालू परिसम्पत्ति – वि.अ.आ., भारत सरकार, आयकर, अन्य से वसूली योग्य	17,97,438	14,92,163
छ. नई पेंशन योजना टियर–1 से वसूली योग्य	8,11,612	8,11,612
ज. दुकानों से आय तथा प्राप्य रॉयल्टी	1,71,66,573	1,37,35,673
योग ख	**33,12,85,023**	**23,58,86,356**
योग (क+ख)	**2,77,19,01,364**	**2,73,58,24,505**

टिप्पणी : 1. संलग्नक 'क' बैंक शेषों के विवरण दर्शाता है।

2. चूंकि परिक्रामी निधि का सृजन स्टाफ को गृह निर्माण, कंप्यूटर और वाहन अग्रिम देने के लिए किया गया है, अतः अग्रिमों को उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा। ब्याज पर दिए गए इन अग्रिमों के शेषों को इस अनुसूची में नहीं दर्शाया जाएगा।

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

संलग्नक–क

I. बैंक खाते	2013–14	राशि रुपयों में
समग्र निधि खाता		**1,27,35,345**
1. कॉर्पस निधि खाता	1,27,35,345	
जमा निधि खाता		**39,51,135**
2. जमा खाता	26,37,716	
3. छात्र सहायता निधि खाता	4,74,012	
4. छात्र खाता	8,39,408	
विकास योजनागत निधि खाता		**11,58,52,563**
5. संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीबीटी खाता	2,13,50,227	
6. विकास योजनागत खाता	7,28,03,003	
7. आधारिक संरचना विकास निधि खाता	–	
8. वि.अ.आ. योजनागत अध्येतावृत्ति खाता	2,16,99,333	
उद्दिष्ट निधि खाता		**12,69,59,179**
9. शैक्षिक विकास निधि खाता	1,12,53,191	
10. सीएएचजी निधि खाता	90,356	
11. सवारी निधि खाता	1,65,31,240	
12. एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि खाता	9,86,733	
13. गृह निर्माण अग्रिम निधि खाता	1,31,56,566	
14. निप्पन फांउडेशन निधि खाता	54,62,390	
15. अक्षय और चेयर खाता	3,50,17,098	
16. वि.अ.आ. जे.आर.एफ. अध्येतावृत्ति खाता	2,89,61,517	
17. वि.अ.आ. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति खाता	1,55,00,089	
ईएमएफ खाता		**13,91,50,821**
18, डीबीटी प्रायोजित परियोजना खाता	80,50,379	
19. पीयूआरएसई खाता	14,35,176	
20. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	2,98,132	
21. प्रायोजित अध्येतावृत्ति (भारतीय) खाता	6,39,18,141	
22. प्रायोजित परियोजना खाता	6,54,48,992	
रखरखाव निधि खाता		**48,48,60,715**
23. गोमती अतिथि गृह खाता	98,46,354	
24. सेवानिवृत्ति निधि खाता	14,83,049	
25. छात्रवृत्ति खाता	96,86,860	
26. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रखरखाव खाता	30,61,68,951	
27. विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ खाता	13,02,34,580	
28. पेंशन निधि चालू खाता	2,74,40,920	
योग		**88,35,09,758**
II. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा		**1,54,95,93,765**
योग		**2,43,31,03,523**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची–8 : अनुदान/सहायिकी (अटल अनुदान और प्राप्त सहायिकी)

विवरण	योजनागत			कुल योजनागत	योजनेत्तर वि.अ.आ.	चालू वर्ष योग	पिछला वर्ष योग
	भारत सरकार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग					
		योजनागत	आईडीएफ				
शेष अग्रानीत –	9,98,10,551	40,15,24,003	27,44,17,691	77,57,52,245	–	77,57,52,245	1,22,36,86,846
जमा – वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	51,27,500	45,57,10,219	–	46,08,37,719	2,39,83,76,000	2,85,92,13,719	2,22,32,91,033
योग	10,49,38,051	85,72,34,222	27,44,17,691	1,23,65,89,964	2,39,83,76,000	3,63,49,65,946	3,44,69,77,879
घटा – वि.अ.आ. को धन वापसी	–	20,38,506	–	20,38,506	–	20,38,506	14,83,803
शेष	10,49,38,051	85,51,95,716	27,44,17,691	1,23,45,51,458	2,39,83,76,000	3,63,29,27,458	3,44,54,94,076
घटा – पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त (क)	1,21,81,405	15,06,45,094	9,54,50,078	25,82,76,577	2,70,45,057	28,53,21,634	38,59,13,508
शेष	9,27,56,646	70,45,50,622	17,89,67,613	97,62,74,881	2,37,13,30,943	3,34,76,05,824	3,05,95,80,568
घटा – राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त (ख)	59,04,093	26,42,75,926	8,21,36,392	35,23,16,411	2,08,35,26,943	2,43,58,43,354	2,28,38,28,323
शेष अग्रेनीत (ग)	**8,68,52,553**	**44,02,74,696**	**9,68,31,221**	**62,39,58,470**	**28,78,04,000**	**91,17,62,470**	**77,57,52,245**

(क) वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में परिवर्धन तथा स्थायी परिसम्पत्ति में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) (i) तुलन–पत्र में वर्तमान देयताओं में दर्शाया गया और यह अगले वर्ष अथ शेष बन जाएगा।

(ii) परिसम्पत्ति के स्तम्भ में बैंक शेष, निवेश और अग्रिम द्वारा दर्शाया गया है।

नोट : उपर्युक्त खर्च के अतिरिक्त वर्ष 2013–2014 के दौरान पेटेंट के लिए योजनागत और योजनेत्तर अनुदानों में से क्रमशः रुपये 5,38,938 और रु. 8,000/– की राशि वहन की गई है जिसे तुलन–पत्र में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है।

नोट : रुपये 28,78,04,000/– की अनुप्रयुक्त योजनेत्तर अनुदान राशि वर्ष 2014–15 के लिए अग्रिम अनुदानों को दर्शाती है जो 31.03.2014 को मंजूर एवं जारी की गई हैं।

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–9 : शैक्षिक प्राप्तियाँ

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–2014	पिछला वर्ष 2012–2013
क. छात्रों से शुल्क		
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश शुल्क	–	–
2. नामांकन शुल्क		
i शिक्षण शुल्क	1,91,96,986	1,91,74,628
ii पुस्तकालय शुल्क	34,400	30,950
iii बीआइएनसी पंजीकरण शुल्क	–	3,23,590
iv अन्य	–	5,000
ख) परीक्षा		
1. वार्षिक परीक्षा शुल्क	33,41,000	5,26,650
2. अंक तालिका शुल्क	46,855	43,600
3. अन्य–पंजीकरण शुल्क, ऊपरी खर्च	–	–
ग) अन्य शुल्क		
1. चिकित्सा शुल्क	54,566	50,519
2. अन्य विविध शुल्क	6,56,919	11,58,160
घ) छात्रावास शुल्क	8,03,303	8,91,357
ख. प्रवेश फार्मों की बिक्री/प्रवेश परीक्षा शुल्क	4,19,36,174	4,23,67,575
ग. प्रश्न–पत्रों की बिक्री	76,660	3,61,760
घ. अन्य शैक्षिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशाला के लिए पंजीकरण शुल्क	–	61,504
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कालेज)	3,02,000	2,79,500
योग	**6,64,48,863**	**6,52,74,792**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–10 : निवेशों से आय

राशि रुपयों में

विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ		योजनागत/योजनेत्तर	
	चालू वर्ष 2013–2014	पूर्व वर्ष 2012–2013	चालू वर्ष 2013–2014	पिछला वर्ष 2012–2013
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	–	–	–	–
ख. डिबेंचर और बाँड पर	28,03,467	27,81,580	–	–
2. मियादी जमा/ब्याज लेने वाली पेशगियों पर ब्याज	6,40,22,111	5,29,43,748	6,31,28,551	4,31,25,460
3. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	1,25,16,797	1,00,18,611	–	–
योग	**7,93,42,375**	**6,57,43,939**	**6,31,28,551**	**4,31,25,460**
समग्र निधि और संबंधित उद्दिष्ट/अक्षय निधि में अंतरण	**7,93,42,375**	**6,57,43,939**		
शेष	शून्य	शून्य		

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–11 : रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–14	पिछला वर्ष 2012–13
1. रॉयल्टी से आय	10,35,330	8,58,084
2. प्रकाशनों की बिक्री से आय	–	–
3. अन्य (ब्यौरा दें)	–	–
योग	**10,35,330**	**8,58,084**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–12 : अर्जित ब्याज

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–14	पिछला वर्ष 2012–13
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	4,18,23,429	4,35,64,764
2. ऋण पर		
क. कर्मचारी/स्टाफ	–	–
ख. अन्य	–	–
3. देनदारों और अन्य प्राप्यों पर	–	–
योग	**4,18,23,429**	**4,35,64,764**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–13 : अन्य आय

राशि रुपयों में

	विवरण	चालू वर्ष 2013–14	पिछला वर्ष 2012–13
1)	क्वार्टरों से लाइसेंस शुल्क	77,69,778	97,92,046
2)	अतिथि गृह से किराया	79,35,223	1,07,99,537
3)	दुकानों, डाकघर, बैंक आदि से किराया	90,59,940	1,19,41,049
4)	छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	6,13,200	4,47,183
5)	वाहनों के उपयोग के लिए प्रभार	33,600	51,265
6)	जल और विद्युत प्रभार	3,49,88,713	2,32,78,920
7)	परिसम्पत्ति की बिक्री/निपटान पर अधिशेष	–	4,18,922
8)	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वसूलियाँ	73,36,883	74,54,242
9)	विविध आय (अनुपयोगी/खाली पड़े भंडारों, रद्दी कागज, निविदा कागजात, प्रवेश पुस्तिका की बिक्री की कार्यवाही, जुर्माना और दण्ड, अन्य विविध आय)	1,20,16,407	1,23,15,637
	योग	**7,97,53,745**	**7,64,98,800**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–14 : पूर्व अवधि की आय

विवरण	चालू वर्ष 2013–14	पिछला वर्ष 2012–13
पूर्व अवधि की आय	19,13,936	9,65,258
योग	**19,13,936**	**9,65,258**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–15 : स्थापना व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–14			पिछला वर्ष 2012–13		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. वेतन, मजदूरी और भत्ते	4,72,40,948	1,11,57,67,136	1,16,30,08,084	2,47,42,899	1,03,66,82,605	1,06,14,25,504
ख. भविष्य निधि में अंशदान	–	51,79,385	51,79,385	–	53,12,826	53,12,826
ग. अन्य निधियों में अंशदान (नई पेंशन योजना)	–	–	–	–	54,848	54,848
घ. बोनस	–	37,35,142	37,35,142	13,816	36,55,100	36,68,916
ङ. छुट्टी यात्रा रियायत	–	1,33,95,356	1,33,95,356	–	1,34,82,385	1,34,82,385
च. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	2,37,79,880	2,37,79,880	–	1,69,85,691	1,69,85,691
छ. शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	91,275	81,78,709	82,69,984	5,820	75,22,799	75,28,619
ज. स्टाफ कल्याणकारी व्यय	12,13,761	2,20,45,235	2,32,58,996	50,000	2,17,28,582	2,17,78,582
झ. कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण)	24,10,284	96,88,36,262	97,12,46,546	7,25,040	1,30,49,89,010	1,30,57,14,050
ञ. शुल्क और मानदेय	6,392	2,50,30,863	2,50,37,255	3,28,366	2,14,66,911	2,17,95,277
ट. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	–	7,56,316	7,56,316	–	4,21,059	4,21,059
कुल योग	**5,09,62,660**	**2,18,67,04,284**	**2,23,76,66,944**	**2,58,65,941**	**2,43,23,01,816**	**2,45,81,67,757**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–15'क' : कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ

राशि रुपयों में

क.	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
अथ शेष	5,07,00,74,997,	52,96,47,628	38,60,56,283	5,98,57,78,908
जमा : अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूंजीगत मूल्य	63,98,479	14,70,698	7,13,624	85,82,801
योग	**5,07,64,73,476**	**53,11,18,326**	**38,67,69,907**	**5,99,43,61,709**
घटा : वर्ष 2013–14 के दौरान वास्तविक भुगतान	29,72,78,944	5,97,97,232	3,73,77,822	39,44,53,998
31.3.2014 को उपलब्ध शेष	4,77,91,94,532	47,13,21,094	34,93,92,085	5,59,99,07,711
बीमांकक के मूल्यांकन के अनुसार 31.3.2014 को अपेक्षित प्रावधान	5,59,70,13,629	52,15,94,675	41,49,20,584	6,53,35,28,888
2013–14 में किए जाने वाले प्रावधान	81,78,19,097	5,02,73,581	6,55,28,499	93,36,21,177
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				**2,16,68,559**
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				**1,38,31,926**
घ. सेवानिवृत्ति पर गृह–नगर की यात्रा				**17,69,750**
ङ. जमा संबद्ध बीमा भुगतान				**3,55,134**
योग (क+ख+ग+घ+ङ)				**97,12,46,546**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–16 : शैक्षिक व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–14			पिछला वर्ष 2012–13		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
1. प्रयोगशाला प्रचालन व्यय	1,58,37,004	44,00,846	2,02,37,850	1,94,73,532	57,30,810	2,52,04,342
2. फील्डवर्क / सम्मेलनों में प्रतिभागिता	52,93,036	38,95,578	91,88,614	1,13,07,461	25,18,870	1,38,26,331
3. शिक्षण सहायता	1,800	6,28,386	6,30,186	3,05,775	5,12,949	8,18,724
4. संगोष्ठियाँ / कार्यशालाएँ	1,43,31,205	4,30,214	1,47,61,419	1,59,95,997	3,66,356	1,63,62,353
5. अतिथि शिक्षकों को भुगतान	32,96,526	15,48,450	48,44,976	59,67,996	3,20,297	62,88,293
6. शोध गतिविधियाँ	33,82,049	4,20,977	38,03,026	52,00,428	3,18,486	55,18,914
7. परीक्षा व्यय	23,24,569	3,66,61,607	3,89,86,176	1,08,09,582	3,36,82,867	4,44,92,449
8. छात्र कल्याणकारी व्यय	1,32,40,583	2,56,24,674	3,88,65,257	91,48,355	1,89,57,315	2,81,05,670
9. छात्रों को छात्रवृत्तियाँ / वज़ीफ़ा	11,67,23,843	3,05,96,402	14,73,20,245	10,78,34,295	2,20,49,226	12,98,83,521
10. पत्रिकाएं और प्रकाशन	3,47,56,235	14,97,359	3,62,53,594	3,62,61,121	1,59,33,934	5,21,95,055
11. विविध शैक्षिक व्यय	25,22,847	8,87,718	34,10,565	52,72,997	12,91,569	65,64,566
कुल योग	**21,17,09,697**	**10,65,92,211**	**31,83,01,908**	**22,75,77,539**	**10,16,82,679**	**32,92,60,218**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–17 : प्रशासनिक व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–2014			पूर्व वर्ष 2012–2013		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. संरचनागत						
i) किराया, पौरकर और कर	–	9,68,89,136	9,68,89,136	–	8,28,21,301	8,28,21,301
ii) विद्युत व्यय	4,33,84,148	13,83,29,598	18,17,13,746	2,08,82,000	12,44,20,315	14,53,02,315
iii) जल व्यय	–	55,22,091	55,22,091	–	63,05,341	63,05,341
iv) सुरक्षा व्यय	–	7,21,24,313	7,21,24,313	1,41,47,185	4,25,01,126	5,66,48,311
v) वाहन परिचालन व्यय	–	9,35,661	9,35,661	–	7,06,497	7,06,497
vi) जनरेटर परिचालन व्यय	3,000	14,76,979	14,79,979	1,12,360	6,40,268	7,52,628
ख. संचार						
i) डाक और तार	2,026	13,98,144	14,00,170	35,050	12,98,976	13,34,026
ii) टेलीफोन और फैक्स	1,60,629	41,85,375	43,46,004	3,08,403	44,36,682	47,45,085
iii) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	21,59,959	4,75,538	26,35,497	12,23,921	2,82,938	15,06,859
ग. शैक्षिक संस्थाओं को अभिदान	–	2,14,447	2,14,447	50,481	3,93,249	4,43,730
घ. सलाहकार समितियों आदि के सदस्यों को यात्रा भत्ता	2,34,212	43,41,879	45,76,091	3,30,949	51,71,816	55,02,765
च. विज्ञापन और प्रचार	1,68,767	11,78,877	13,47,644	2,10,168	24,60,026	26,70,194
छ. विधिक व्यय	–	3,58,090	3,58,090	–	10,35,434	10,35,434
ज. अन्य						
i) छपाई और लेखन सामग्री (उपभोग)	9,62,605	66,18,523	75,81,128	26,42,830	64,65,656	91,08,486
ii) पत्र और पत्रिकाएं	29,966	2,01,366	2,31,332	1,09,727	2,06,064	3,15,791
iii) सत्कार व्यय	1,64,849	27,80,861	29,45,710	2,88,796	28,70,201	31,58,997
iv) बैंक प्रभार	1,893	12,51,339	12,53,232	4,120	7,51,015	7,55,135
v) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता	–	3,51,437	3,51,437	–	2,02,107	2,02,107
vi) श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी और ठेका मज़दूरी	2,03,296	10,22,79,789	10,24,83,085	47,10,415	8,27,97,199	8,75,07,614
vii) स्थानीय वाहन	22,680	9,12,388	9,35,068	96,332	10,43,440	11,39,772
xiii) सफाई व्यय	–	43,09,741	43,09,741	25,000	34,27,980	34,52,980
ix) वर्दियां	–	20,29,146	20,29,146	–	22,52,477	22,52,477
x) फोटो कॉपी प्रभार	89,836	6,84,428	7,74,264	7,87,637	6,89,018	14,76,655
xi) अन्य विविध प्रशासनिक व्यय	7,69,933	56,23,703	63,93,636	11,80,280	39,78,246	51,58,526
कुल	4,83,57,799	45,44,72,849	50,28,30,648	4,71,45,654	37,71,57,372	42,43,03,026

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–18 : मरम्मत और रखरखाव

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–2014			पिछला वर्ष 2012–13		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. सफाई सामग्री और सेवाएं	17,490	16,92,380	17,09,870	4,889	8,19,999	8,24,888
ख. बागवानी	–	6,08,463	6,08,463	5,86,422	11,87,669	17,74,091
ग. भवनों का रखरखाव	84,35,716	87,28,189	1,71,63,905	92,34,842	54,08,945	1,46,43,787
घ. सम्पदा का रखरखाव	61,52,848	1,32,48,087	1,94,00,935	–	75,86,207	75,86,207
च. कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	11,51,762	77,89,794	89,41,556	17,34,264	75,09,099	92,43,363
छ. कंप्यूटरों का रखरखाव	16,53,913	47,66,725	64,20,638	34,46,442	45,72,449	80,18,891
ज. वाहनों का रखरखाव	–	16,37,524	16,37,524	–	19,54,261	19,54,261
झ. फर्नीचर और जुड़नार का रखरखाव	43,400	5,91,561	6,34,961	2,36,606	5,15,966	7,52,572
ट. प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव	1,79,78,224	10,33,127	1,90,11,351	91,44,194	3,56,198	95,00,392
ट. पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार	–	3,70,018	3,70,018	32,745	2,88,577	3,21,322
कुल योग	**3,54,33,353**	**4,04,65,867**	**7,58,99,220**	**2,44,20,404**	**3,01,99,369**	**5,46,19,773**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–19 : पूर्व अवधि के व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2013–14			पिछला वर्ष 2012–13		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
1. स्थापना व्यय	1,56,398	5,73,504	7,29,902	11,25,415	35,67,473	46,92,888
2. शैक्षिक व्यय	31,35,180	21,94,512	53,29,692	44,47,508	11,24,315	55,71,823
3. प्रशासनिक व्यय	36,495	1,74,42,743	1,74,79,238	2,98,656	3,42,52,494	3,45,51,150
4. मरम्मत और रखरखाव व्यय	25,24,829	14,91,248	40,16,077	13,16,151	25,57,009	38,73,160
योग	**58,52,902**	**2,17,02,007**	**2,75,54,909**	**71,87,730**	**4,15,01,291**	**4,86,89,021**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लेखाओं के भाग के रूप की अनुसूचियाँ

अनुसूची : 20

विशिष्ट लेखाकरण नीतियाँ

1. **लेखे तैयार करने का आधार**

ये लेखे, जब तक अन्यथा कुछ कहा न जाए, वास्तविक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखाकरण की प्रोद्भूत पद्धति के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

2. **राजस्व पहचान**

2.1 छात्रों से प्राप्त फीस, (ट्यूशन फीस को छोड़कर) प्रवेश फार्मों की बिक्री, रॉयलिटी और बचत खाता पर ब्याज को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर में अलग से एकत्र की गई ट्यूशन फीस को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति पर आय तथा निवेशों (अक्षय निधियों को छोड़कर) पर ब्याज को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। अधिकतर व्यक्तिगत अक्षय निधियों के लिए निवेश कम होता है तथा इसके अलावा, प्रोद्भूत ब्याज के साथ आय को दर्शाने पर उस सही राशि का पता नहीं चलता जो निधि विशेष के अन्तर्गत उन उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु वास्तविक रूप में उपलब्ध है।

2.3 स्टाफ सदस्यों को गृह निर्माण, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों पर ब्याज अग्रिम पर ब्याज को प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

3. **स्थायी परिसम्पत्ति और मूल्यह्रास**

3.1 स्थायी परिसम्पत्ति को आवक–भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण, संस्थापन तथा चालू होने से संबंधित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके अधिग्रहण की लागत पर निर्धारित की जाती है।

3.2 उपहार/दान स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्ति का मूल्यन, घोषित मूल्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, पर किया जाता है; यदि यह मूल्य उपलब्ध न हो तो परिसम्पत्ति के मूल्य का अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य और उसकी वास्तविक दशा के आधार पर लगाया जाता है। इन परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

3.3 उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्यन उन पर अंकित विक्रय–मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहां मूल्य अंकित नहीं है, वहाँ आकलन के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

3.4 इलेक्ट्रोनिक पत्रिकाओं (ई–पत्रिकाएं) को आन–लाइन एक्सेस से प्राप्त सीमित लाभों के ध्यानार्थ पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है। यद्यपि, ई–पत्रिकाओं का कोई मूर्त आकार नहीं होता, अतः इनका अस्थाई रूप से पूंजीकरण इस पर हुए खर्च और शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा अर्जित निरन्तर ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों के सम्बन्ध में उपलब्ध 10% मूल्यह्रास की तुलना में ई–पत्रिकाओं के सम्बन्ध में 40% मूल्यह्रास की उच्चतर दर उपलब्ध कराई जाती है।

3.5 साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च को कंप्यूटरों और पेरिफिरिल से अलग किया गया है, क्योंकि ये अमूर्त रूप में होने के अतिरिक्त जल्दी ही अप्रचलित हो जाते हैं। कंप्यूटर और पेरिफिरिल के लिए मूल्यह्रास की 20% दर की तुलना में साफ्टवेयर के लिए मूल्यह्रास की दर 40% है।

3.6 स्थायी परिसम्पत्ति का मूल्यन, उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास की स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है :

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	सड़क और सेतु	2%
5.	नलकूप और जलापूर्ति	2%
6.	सीवर और जल निकासी	2%
7.	विद्युत संस्थापन तथा उपकरण	5%
8.	संयंत्र और मशीन	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	दृश्य–श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफिरिल	20%
13.	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%
16.	ई–पत्रिकाएं	40%
17.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
18.	अन्य	10%

3.7 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास उपलब्ध कराया जाता है।

3.8 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यह्रास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन–पत्र में रू 1 के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यह्रास नहीं होगा। इसके बाद, मूल्यह्रास की गणना उस परिसम्पत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यह्रास की दर से प्रत्येक वर्ष के परिवर्धनों पर प्रथक रुप से की जाती है।

3.9 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजनाओं की निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्ति, जहां इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। सम्बन्धित परिसम्पत्ति पर लागू दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजना निधियों में से सृजित की गई उन परिसम्पत्ति, जिनका स्वामित्व प्रायोजक के पास है, परन्तु परिसम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा धारित हैं और वह इनका उपयोग करता है, का विवरण लेखा नोट में अलग से किया जाता है।

3.10 ऐसी परिसम्पत्ति जिनका प्रत्येक का पृथक मूल्य रु. 2000 या इससे कम (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) है, इनको 1.4..2010 से लघु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ माना जाता है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय इन पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण धारक द्वारा जारी रहता है।

4. **पेटेंट** : पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय–समय पर किया गया खर्च (आवेदन शुल्क, विधिक खर्च आदि) अस्थायी रूप से पूंजीकृत किया जाता है और इसे तुलनपत्र में अलग शीर्ष के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट के लिए आवेदन रद्द हो जाता है तो जिस वर्ष में आवेदन–पत्र रद्द हुआ है उसमें पेटेंट विशेष पर खर्च किए गए संचयी व्यय को आय–व्यय खाते में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

पेटेंट के लिए खर्च को संरक्षणशील आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

5. **स्टाक** : रसायनों, ग्लासवेयर, प्रकाशन और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि को राजस्व खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को संस्थानों और विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तदनुरुपी राजस्व खर्च को कम करते हुए वस्तु सूची के रूप में अंतिम स्टॉक की कीमत निर्धारित की जाती है।

6. **सेवानिवृत्ति लाभ**

सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी–नकदीकरण, बीमांकिक मूल्यन के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेलन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को सम्बन्धित प्रावधान खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर जेएनयू कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को भी पेंशन खाता के लिए प्रावधान में क्रेडिट कर दिया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे – जमा से जुड़ी बीमा योजना, नई पेंशन योजना अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के समय गृह नगर के लिए यात्रा का लेखा–जोखा प्रोदभूत आधार (वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक भुगतान व बकाया बिल) पर रखा जाता है।

7. <u>निवेश</u>

7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हों, पर किए जाते है। तथापि, तुलन–पत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में हुई स्थायी कमी को दर्शाया जाता है।

7.2 लघु अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि दर बताई गई हो), जो भी कम हों, पर किए जाते है।

8. **<u>समग्र निधि</u>** की शुरुआत वर्ष 1996–97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा और शोध परियोजनाओं से अंशदान को समग्र निधि का परिवर्धन माना जाता है।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर समग्र निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत खर्च के लिए किया जाता है। समग्र निधि में से सृजित परिसम्पत्ति का पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। समग्र निधि में से अग्रेनीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, भारतीय रिज़र्व बैंक के बॉंड्स में निवेश और बैंक में आवधिक जमा तथा निवेश (वर्तमान परिसम्पति) पर प्रोद्भूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

9. निम्नलिखित दीर्घकालिक निधियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्याधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बांड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता हैं। निवेश/अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन) से प्रोद्भूत आधार पर प्राप्त आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को सम्बन्धित निधियों में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम निधियों के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। उद्दिष्ट निधियों में से सृजित परिसम्पत्ति (जैसे एक्जिम बैंक पुस्तकालय – भवन और पुस्तकें) को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में मिला दिया जाता है। संबंधित निधियों में शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्ति के कॉलम में बैंक में शेष, निवेश और प्रोद्भूत ब्याज (वर्तमान परिसम्पत्ति) के द्वारा दर्शाया जाता है।

9.1 **<u>शैक्षिक विकास निधि</u>**

यह निधि 1 फरवरी 2006 को आरंभ की गई थी। इसका उपयोग समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित कुछ नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमों, शोध कार्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाता है।

9.2 **गृह निर्माण अग्रिम निधि**

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए परिक्रामी निधि है।

9.3 **निप्पन फाउंडेशन निधि**

निप्पन फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई दस लाख यूएस डालर की निधि दो भाग में थी। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरेन में किया गया और अर्जित ब्याज को उस भाग में जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 75,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश भारतीय स्टेट बैंक बहरेन में किया गया परन्तु उस पर अर्जित ब्याज को भारतीय स्टेट बैंक, जेएनयू शाखा में निधि (सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों में अध्ययन करने वाले बकाया छात्रों को अध्येतावृत्तियों) का मदों पर खर्च का वहन करने हेतु तिमाही आधार पर अंतरित किया गया। 23 सितंबर 2013 को दोनों भाग इकट्ठे किए गए तथा एक अंश एसबीआइ, जेएनयू शाखा (एफसीआरए खाता) में अंतरित किया गया और दूसरे अंश को बहरेन रखा गया और आधार पर निवेश किया गया। एसबीआइ जेएनयू को अंतरित अंश को भारतीय स्टेट बैंक के साथ तीन मियादी जमा में परिवर्तित किया गया है। इस निधि की मद पर हुए खर्च का वहन बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किए जा रहे मियादी जमा के तिमाही ब्याज से किया जाता है।

9.4 **वि.अ.आ.–क.शो.अ. निधि**

यह निधि कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

9.5 **वाहन निधि**

यह निधि कार, दुपहिया वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान हेतु परिक्रामी निधि है।

9.6 **एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि**

यह निधि एग्जिम बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गई है।

9.7 **अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केंद्र निधि**

यह निधि मानव जिनोमिक्स और सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व भागीदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

9.8 **राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि**

यह निधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जन–जाति के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

9.9 **अक्षय निधियाँ**

अक्षय निधि ऐसी निधियाँ है जो दाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर चेयर स्थापित करने, मैडल, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती है। प्रत्येक अक्षय निधि का अपना–अलग से निवेश होता है, सभी अक्षय निधियों के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य होते हैं। पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्तियों पर हुए खर्च का वहन निवेश पर अर्जित ब्याज से ही किया जा सकता है। तथापि, पीठों (चेयर्स) पर हुए खर्च का वहन निधि (अर्जित ब्याज और उसे वापस निधि में जोड़ने सहित) से किया जाता है।

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी अक्षय निधियों में वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के अन्त शेष के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। पीठ (चेयर), पदक और पुरस्कारों पर खर्च राशि को सम्बन्धित अक्षय निधियों में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है। शेष को आर.बी.आई. बॉण्ड और आवधिक जमा में निवेश और सभी अक्षय के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

10. **सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान**

10.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों को नकदीकरण के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। फिर भी, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान को जारी करने के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो इस अनुदान को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा इसके समान राशि अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दर्शायी जाती है।

10.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि (प्रोद्भूत आधार पर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

10.3 राजस्व खर्च वहन के लिए सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि (प्रोद्भूत आधार पर), किए गए उपयोग की सीमा तक, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।

10.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रेनीत कर दिया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

11. **उद्दिष्ट/अक्षय निधियों का निवेश और इन निवेशों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय**

इन निधियों में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बांड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।

इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज, देय अर्जित ब्याज तथा अदेय अर्जित ब्याज को सम्बन्धित निधियों में जोड़ दिया जाता है और उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

12. **प्रायोजित परियोजनाएं**

12.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान – वर्तमान देयताएं – अन्य देयताएं – चालू प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। जब कभी इन परियोजनाओं की राशि में से खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या सम्बन्धित परियोजना खाते को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो देयता खाता को डेबिट कर दिया जाता है।

12.2 कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती है। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़ कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।

12.3 विश्वविद्यालय स्वयं भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां बांटता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

13 **आय कर**

आय कर अधिनियम की धारा 10(23 सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आय कर से मुक्त रखा गया है। अतः लेखाओं में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)	उप वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी

अनुसूची : 21

आकस्मिक देयताएं और लेखा नोट

1. **आकस्मिक देयताएं**

1.1 31.3.2014 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों, ठेकेदारों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 73 मुकदमें (पिछले वर्ष 58) और ठेकेदारों के साथ मध्यस्थता मामले निर्णय के लिए लम्बित पड़े थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे स्थापना – अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि से संबंधित थे। इन दावों की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता। ठेकेदारों द्वारा किए गए मुकदमों और आर्बिट्रेशन मामले के दावे की राशि रु. 21.67 लाख (पिछले वर्ष 24.54 लाख रुपए) बनती थी।

1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा साख–पत्र खोला गया और 31.03.14 को बकाया राशि रु. 29.30 लाख थी (पिछले वर्ष में यह राशि रु. 1,03,02,421/– थी)।

2. **पूंजीगत वचनबद्धताएं**

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष ठेकों की लागत और जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए (अग्रिमों की निवल) की राशि रु. 19.78 करोड़ है। (पिछले वर्ष में यह राशि – रु. 19.35 करोड़ थी)

3. **स्थायी परिसम्पत्ति**

3.1 वर्ष 2013–2014 में अनुसूची 5 की स्थायी परिसम्पत्तियों में हुए परिवर्धन में योजनागत निधियों रु. 25,82,76,577/–, योजनेत्तर निधियाँ (रु. 2,70,45,057/–) शैक्षिक विकास निधि (99,537/–), एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि (रु. 8,76,441/–), प्रायोजित परियोजनाएं (रु. 23,95,275/–) और विश्वविद्यालय को उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय–पुस्तकें और रु. 8,47,559/– के मूल्य की अन्य परिसम्पत्तियों से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं। ये परिसम्पत्तियाँ पूंजीगत निधि में क्रेडिट करके स्थापित की गई हैं।

3.2 31.3.2004 को तुलन पत्र और पूर्व वर्षों के तुलन पत्रों में योजनागत निधियों में से सृजित स्थायी परिसम्पत्ति और योजनेतर निधियों से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों को अलग–अलग नहीं दर्शाया गया था। वर्ष 2004–2005 के दौरान योजनागत और योजनेतर निधियों तथा अन्य निधियों से हुए परिवर्धनों और उन परिवर्धनों पर मूल्यह्रास को क्रमशः स्थायी परिसम्पत्ति की मुख्य अनुसूची (अनुसूची–5) की उप अनुसूची 5ए और 5बी और 5सी में अलग–अलग दर्शाया गया है।

3.3 अनुसूची 5 में दर्शायी गई स्थायी परिसम्पत्तियों में वे परिसम्पत्ति शामिल नहीं हैं जिनकी खरीद प्रायोजित परियोजना निधियों में से की गई है, और जो विश्वविद्यालय के धारित हैं तथा इसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं, क्योंकि परियोजना संविदाओं में शामिल अनुबंधों के अनुसार परियोजना निधियों में से खरीदी गई सभी परिसम्पत्ति प्रायोजकों की संपत्ति रहेंगी।

ऐसी परिसम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है :

परिसम्पत्तियाँ	1.4.2013 को वास्तविक मूल्य रु.	वर्ष के दौरान परिवर्धन रु.	योग रु.	मूल्यह्रास अथ शेष	वर्ष के लिए नोशनल मूल्यह्रास रु.	कुल मूल्यह्रास	31.3.14 को कुल खाता मूल्य
प्रयोगशाला उपस्कर	40,33,42,304	8,59,83,223	48,93,25,527	10,54,38,391	84,35,071	11,38,73,462	37,54,52,065
कंप्यूटर	25,31,806	33,72,573	59,04,379	5,06,366	11,80,876	16,87,242	42,17,137
विद्युत व अन्य उपकरण	1,07,773	4,39,039	5,46,812	5,389	27,341	32,730	5,14,082

4. **पेटेंट** : वर्ष 2011–12 के दौरान पहली बार पेटेंट पर खर्च के संबंध में पहली बार लेखाकरण नीति तैयार की गई है। वर्ष 2008–2009 और 2010–2011 के दौरान मंजूर हुए पेटेंट पर खर्च की गई राशि और 31.03.2011 के अनुसार लंबित पेटेंट के आवेदनों पर खर्च को वर्ष 2011–2012 के लेखाओं में पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए स्थापित किया गया। वर्ष 2012–2013 और 2013–2014 में खर्च की गई राशि को शीर्ष में सीधे डेबिट कर दिया गया है।

5. <u>अनुदानः</u>

5.1 वर्ष 2008–2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आधारभूत संरचना तैयार करने और आवर्ती खर्च, अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों में हुई वृद्धि संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए रु. 214.18 करोड़ की योजनागत अनुदान मंजूर की गई थी। पूंजीगत खर्च (रु. 70.04 करोड़) को वर्ष 2008–2009 से 3 वर्ष के दौरान खर्च किया जाना था और आवर्ती खर्च (रु. 144.14 करोड़) को वर्ष 2008–2009 (बाद में 31.03.2014 तक बढ़ाया गया) से 5 वर्ष के दौरान खर्च किया जाना था। पूंजीगत खर्च के लिए रुपये 28.96 करोड़ की राशि वर्ष 2011–2012 के दौरान जारी की गई। यह अनुदान राशि अनुसूची 8 (अनुदान/सहायिकी) में संरचनागत विकास निधि शीर्ष के अंतर्गत पृथक व स्पष्ट रूप से लेखाबद्ध की गई है। वर्ष 2012–13 या 2013–14 के दौरान कोई भी संरचनागत विकास निधि जारी नहीं की गई। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इस अनुदान के अंतर्गत 9.76 करोड़ रु. का शेष था जिसे 2014–15 में समायोजन हेतु अग्रिमों द्वारा दर्शाया गया है।

6. **जमा देयताएं** – वित्त वर्ष 2010–11 से पूर्व अदावी जमा के रूप में रुपये 19,55,098 की प्रतिभूति जमा और बयाना राशि जमा के रूप में बकाया राशि को राजस्व खाता में अंतरित किया गया और इसे वर्ष 2012–13 के लिए विविध आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया। रु. 13,42,336 की राशि भी वर्ष 2013–14 में राजस्व खाते में इसी प्रकार अंतरित की गई।

7. **निप्पन फाउंडेशन निधि** – वर्ष 2013–14 में इस निधि के लिए लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया गया। 23.09.2013 तक समग्र निधि बहरेन में निवेश की गई। 2,50,000 यू.एस. डॉलर के प्रथम भाग का अलग से निवेश किया गया तथा अर्जित ब्याज को जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यू.एस. डॉलर के

दूसरे भाग का भी निवेश किया गया परन्तु ब्याज प्रत्येक तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक के जेएनयू के खाते में अंतरित किया गया इसे छात्रों को अध्येतावृत्ति के खर्च के लिए प्रयोग किया गया। 24.09.2013 को 3,00,000 यूएस डॉलर भारतीय स्टेट बैंक में जेएनयू के खाते में अंतरित किए गए (रु. 1,86,94,500/– के समकक्ष) तथा 8,12,476.29 यूएस डॉलर (समग्र रु. 7,00,000 + रु. 1,12,476.79 ब्याज) भारतीय स्टेट बैंक बहरेन में मियादी जमा रोक लिया गया। बचत खाता शेष में से रु. 13,05,500/– के साथ रु. 1,86,94,500/– की राशि 70 लाख, 70 लाख और 60 लाख की 3 मियादी जमा में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी जमा राशि पर तिमाही ब्याज को अध्येतावृत्तियों के संवितरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किया जाएगा।

8. **सेवानिवृत्ति लाभ** – वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार योजनागत पदों के लिए अदा किए गए सेवानिवृत्ति लाभ और स्थापना खर्च को केवल योजनागत अनुदानों में ही डेबिट किया गया है।

9. **वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम**

प्रबन्धन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिमों का सामान्यतः नकदीकरण करने पर जो मूल्य होता है वह कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाए गए कुल मूल्य के बराबर होता है।

10. बचत बैंक खाता, चालू खाता (पेंशन) और बैंक में मियादी जमा खातों में शेष राशि के विवरण संलग्न 'ए' में दिए गए हैं।

11. पिछले वर्षों के आंकड़ों का यथावश्यक पुनः वर्गीकरण किया गया है।

12. अंतिम खातों में आंकड़ों को निकटतम रुपए में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।

13. अनुसूची 1 से 21 संलग्न हैं और यह 31 मार्च 2014 के तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय लेखा के एक अभिन्न अंग हैं।

14. चूँकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता का स्वामित्व इन निधियों के सदस्यों के पास होता है, न कि विश्वविद्यालय के पास। अतः इन खातों को वर्ष 2004–2005 से विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। तथापि, प्राप्ति और अदायगी खाता, आय और व्यय खाता (प्रोद्भूत आधार पर) और भविष्य निधि खाता के तुलन पत्र के साथ–साथ वर्ष 2013–14 के लिए नई पेंशन योजना के तुलन पत्र का विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है। पीआरए नम्बर आबंटित 576 कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा हिस्सा (रु. 8.16 करोड़) 31 मार्च 2014 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)–सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को हस्तांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के पास नई पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लगभग 27 कर्मचारियों से संबंधित शेष राशि को इन्हें एक बार एजेंसी द्वारा पीआरए नम्बर आबंटित होते ही वर्ष 2014–2015 में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)	उप वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का आवती और भुगतान–लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I अथ शेष			I. व्यय		
क. हाथ रोकड़	3,16,222	3,51,682	क. स्थापना	56,79,40,678	55,06,10,373
ख. बैंक शेष			ख. प्रशासनिक	48,71,16,533	41,31,59,473
– चालू खाते में	3,60,85,800	3,13,90,268	ग. शैक्षिक	27,85,53,534	28,78,48,042
– बचत खाते में	1,36,42,42,778	1,82,51,77,464	घ. मरम्मत और रखरखाव	6,44,34,598	3,93,69,758
– जमा खाते में			च. पूर्व अवधि के व्यय	2,38,38,355	4,34,13,935
II. प्राप्त अनुदान	2,85,92,13,719	2,25,32,91,033	II. उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के लिए अदायगियाँ	26,82,21,532	30,48,66,225
III. दान और अंशदान					
IV. शैक्षिक प्राप्तियाँ	6,71,44,888	6,51,64,224	III. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए अदायगियाँ	33,15,46,459	37,32,37,825
V. उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के लिए प्राप्तियाँ	30,64,85,789	37,12,47,152			
VI. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (प्राप्ति योग्य)	1,30,99,172	90,53,551	IV. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए अदायगियाँ	21,15,41,929	16,23,43,301
VII. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्राप्तियाँ	26,59,24,584	53,63,78,485	V. निवेश	64,96,31,537	42,01,27,196
VIII. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्तियाँ	25,40,24,287	19,22,05,698	VI. स्थायी परिसम्पत्ति और चालू पूंजीगत कार्य पर खर्च		
IX. निवेश से आय	6,21,82,830	2,66,41,302	क. स्थायी परिसम्पत्ति	8,85,91,875	15,85,52,244
X. प्राप्त ब्याज	4,18,23,429	4,35,64,764	ख. चालू पूंजीगत कार्य	44,02,079	34,03,645
XI. जमा और अग्रिम	8,25,43,826	9,38,35,538	VII. वेतन से संबंधित अदायगियाँ	1,09,20,47,147	96,59,28,382
XII. अन्य आय	4,61,89,027	4,27,02,103	VIII. सांविधिक अदायगियाँ सहित अन्य अदायगियाँ	1,75,15,538	2,02,62,073
XIII. सांविधिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियाँ	2,98,88,188	48,17,633	IX. समग्र निधि	67,92,733	42,77,139
XIV. पूंजीगत/समग्र निधि	3,04,03,211	2,17,11,015	X. जमा और अग्रिम	44,10,01,551	31,35,35,004
XV. निवेश	41,62,89,785	33,56,02,324	XI. अनुदान वापसी	20,38,506	3,14,83,803
XVI. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	21,96,89,200	32,09,34,687	XII. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	67,64,44,527	68,10,05,704
			XIII. अन्त शेष –		
			क. हाथ रोकड़	3,77,865	3,16,222
			ख. बैंक शेष		
			– चालू खाते में	2,74,40,920	3,60,85,800
			– बचत खाते में	85,60,68,838	1,36,42,42,778
योग	6,09,55,46,733	6,17,40,68,922	योग	6,09,55,46,733	6,17,40,68,922

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

राशि 31.03.2013	देयता		राशि 31.03.2014	राशि 31.03.2013	परिसंपत्ति		राशि 31.03.2014
89,89,32,829	सामान्य भविष्य निधि			1,11,19,38,568	निवेश		1,12,69,91,812
	अथ शेष	89,89,32,829		2,62,28,166	31 मार्च 14 को प्रोद्भूत ब्याज		2,81,69,058
	घटा: मार्च,13 के लिए अभिदान	1,23,67,396			मार्च 14 के लिए देय अभिदान		
		88,65,65,433			सा.भ.नि.	1,22,53,445	
	जमा – अभिदान	15,34,19,611			अं.भ.नि.	14,44,974	
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	7,43,42,754			विश्वविद्यालय अभिदान	3,90,965	1,40,89,384
	जमा– मार्च, 14 के लिए अभिदान	1,22,53,445					
	घटा – अग्रिम/निकासी	20,44,30,784	92,21,50,459	1,44,78,896	नई पेंशन योजना–II		00
15,20,96,395	अंशदायी भविष्य निधि						
	अथ शेष	15,20,96,395		2,18,685	आयकर विभाग से लंबित बकाया पर		
	घटा –मार्च,13 के लिए अभिदान	13,39,142			प्राप्त ब्याज से वसूल किया गया कर		2,18,685
		15,07,57,253					
	जमा – अभिदान	1,87,55,982					
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	1,28,46,116		4,02,30,755	हाथ रोकड़		
	जमा – मार्च,14 के लिए अभिदान	14,44,974					
	घटा – अग्रिम/निकासी	2,63,51,908	15,74,52,417		भा.स्टेट बैंक, जनेवि शाखा-I	2,36,40,390	
8,22,41,218	विश्वविद्यालय का अंशदान				भा.स्टेट बैंक, जनेवि शाखा-II	5,06,575	
	अथ शेष	8,22,41,218			आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	1,31,93,029	3,73,39,994
	घटा –मार्च,13 के लिए अभिदान	4,25,093					
		8,18,16,125					
	जमा – अभिदान	52,13,512					
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	69,98,703					
	जमा – मार्च,14 के लिए अंशदान	3,90,965					
	घटा – अग्रिम/निकासी	92,03,131	8,52,16,174				
1,44,06,333	नई पेंशन योजना टियर–II खाता						
	अथ शेष	1,44,06,333					
	घटा – मार्च,13 के लिए अभिदान	3,47,265					
		1,40,59,068					
	जमा – अभिदान	14,21,321					
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	00					
	जमा – मार्च,14 के लिए अभिदान	00					
	घटा – अग्रिम/निकासी	1,54,80,389	00				
4,54,18,295	ब्याज आरक्षित						
	अथ शेष	4,54,18,295					
	जमा – आय से व्यय की अधिकता	34,28,412	4,19,89,883				
1,19,30,95,070	योग		1,20,68,08,933	1,19,30,95,070	योग		1,20,68,08,933

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय लेखा

राशि 31.03.2013	व्यय	राशि 31.03.2014	राशि 31.03.2013	आय		राशि 31.03.2014
	क्रेडिट किया गया ब्याज –		9,35,83,069	निवेश पर अर्जित ब्याज	8,88,18,269	
7,35,49,405	सामान्य भविष्य निधि खाता	7,43,42,754	2,62,28,166	जमा – 31 मार्च 14 को प्रोद्भूत ब्याज	2,81,69,058	
1,22,47,401	अंशदायी भविष्य निधि खाता	1,28,46,116		जमा – ब्याज पर वसूल किया गया		
66,60,008	विश्वविद्यालय अंशदान	69,98,703	2,18,685	कर धन वापसी की जानी है	–	
10,43,456	नई पेंशन योजना टियर II खाता				11,69,87,327	
4,89,679	व्यय से आय की अधिकता		2,60,39,971	घटा – मार्च 2013 में प्रोदभूत ब्याज	2,62,28,166	9,07,59,161
				आय से व्यय की अधिकता		34,28,412
9,39,89,949	योग	**9,41,87,573**	**9,39,89,949**	योग		**9,41,87,573**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा

प्राप्तियाँ		राशि	अदायगियाँ		राशि
1.4.13 को अथ शेष			सा.भ.नि. अग्रिम/निकासी		20,44,30,784
एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–I	3,00,24,503		अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/निकासी		2,63,51,908
एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–II	4,86,904		नई पेंशन योजना टियर–II		1,54,80,389
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	97,19,348	4,02,30,755	विश्वविद्यालय अभिदान निकासी		92,03,131
सामान्य भविष्य निधि अभिदान	15,34,19,611		वर्ष के दौरान निवेश		10,54,28,244
अंशदायी भविष्य निधि अभिदान	1,87,55,982		**अंत शेष :–**		
विश्वविद्यालय अभिदान	14,21,321		एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–I	2,36,40,390	
नई पेंशन योजना टियर–II खाता	52,13,512	17,88,10,426	एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–II	5,06,575	
निवेश भुनाए		9,03,75,000	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	1,31,93,029	3,73,39,994
प्राप्त ब्याज		8,88,18,269			
	योग	**39,82,34,450**	**योग**		**39,82,34,450**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टियर–I खाता
31 मार्च, 2014 को तुलन–पत्र

राशि 31.03.2013	देयता		राशि 31.03.2014	राशि 31.03.2013	परिसम्पत्ति	राशि 31.03.2014
	न.पें.यो. टियर–1 खाता				**न.पें.यो. टियर–1 खाता**	
2,21,00,622	अथ शेष	2,21,00,622		3,52,683	मार्च 14 में देय अभिदान	3,06,188
	घटा – मार्च,13 के लिए अभिदान	3,52,683				
		2,17,47,939		1,20,00,000	निवेश	–
	जमा – अभिदान+वि.अं.	47,22,881		5,86,947	प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नही	–
				1,14,64,836	बैंक शेष	2,26,91,914
		2,64,70,820				
	घटा – आहरण	72,99,606				
		1,91,71,214				
	जमा – अभिदान+वि.अं.3/2014	3,06,188	1,94,77,402			
8,11,612	31.3.2014 के अनुसार अनुरक्षण खाते में कुल देय राशि		8,11,612			
	व्यय से आय की अधिकता					
14,92,232	बकाया – 1.4.2013	14,92,232				
	जमा – वर्ष के दौरान	12,16,856	27,09,088			
2,44,04,466	**योग**		**2,29,98,102**	**2,44,04,466**	**योग**	**2,29,98,102**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टियर–I खाता
वित्त वर्ष 2013–2014 के लिए आय और व्यय लेखा

राशि 31.03.2013	व्यय	राशि 31.03.2014	राशि 31.03.2013	आय		राशि 31.03.2014
14,23,003	अंशदायी खाते में क्रेडिट ब्याज	–		बचत पर अर्जित ब्याज		6,74,226
	बैंक प्रभार	422				
			17,69,244	निवेश पर अर्जित ब्याज	11,29,999	
			–1,26,815	घटा : 31.3.2013 के अनुसार प्रोद्भूत ब्याज	5,86,947	5,43,052
2,19,426	व्यय से आय की अधिकता	12,16,856				
16,42,429	योग	**12,17,278**	**16,42,429**	योग		**12,17,278**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टियर–I खाता
वित्त वर्ष 2013–2014 के लिए प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा

प्राप्तियाँ		राशि	अदायगियाँ	राशि
1.4.2013 को अथ शेष		1,14,64,836	निवेश	–
			बैंक प्रभार	422
नई पेंशन योजना टियर I खाता			आहरण/एनएसडीएल को वापसी	72,99,606
स्वयं का अभिदान	23,64,742			
विश्वविद्यालय का अभिदान	23,58,139	47,22,881	31.03.2014 को अन्त शेष	2,26,91,914
निवेश पर प्राप्त ब्याज	11,29,999			
बचत बैंक खाता पर ब्याज	6,74,226	18,04,225		
निवेश भुनाए		1,20,00,000		
योग		**2,99,91,942**	योग	**2,99,91,942**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

लेखाओं की लेखापरीक्षा

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की धारा 20(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संलग्न तुलन–पत्र, आय–व्यय लेखा तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की गई है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रबंधन का है। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बेहतरीन लेखाकरण पद्धतियों, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटन नियम आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियम तथा विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन आदि पक्ष, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा इस युक्तियुक्त आश्वासन कि वित्तीय विवरण आर्थिक गलतबयानी से मुक्त है, पाने के लिए योजनागत तरीके से निष्पादित की जाए। लेखापरीक्षा परख आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन आदि द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। इस लेखापरीक्षा में हमारे विचार अभिव्यक्ति का युक्तियुक्त आधार है।

4. इस लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित किया जाता है कि :

(i) लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, रिपोर्ट में यथा अभिव्यक्त को छोड़कर, प्राप्त कर ली गई हैं।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन–पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा आदि को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर लिया गया है।

(iii) हमारे विचार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उचित लेखा–पुस्तिकाओं तथा अन्य संगत अभिलेख का रखरखाव किया हुआ है। यह ऐसी पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है।

(iv) यह और सूचित किया जाता है कि :

क. लेखापरीक्षा की सलाहनुसार लेखा–परिशोधन

रु. 38.48 लाख की प्रायोजित अध्येतावृत्ति के निवेश को शामिल करने तथा संबंधित शीर्ष के अंतर्गत रु. 3.54 लाख की प्रायोजित अध्येतावृत्ति के निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज की आय को भी दर्शाने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर लेखाओं में परिशोधन किया गया। इससे देयताएं व परिसंपत्ति में रु. 42.02 लाख की बढ़ोतरी हुई।

ख. सहायता अनुदान

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय को रु. 285.92 करोड़ (योजनागत : रु. 46.08 करोड़ तथा योजनेत्तर : रु. 239.84 करोड़) की अनुदान प्राप्त हुई तथा इसके पास रु. 77.58 करोड़ (योजनागत) का अथशेष था। वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 285.92 करोड़ की सहायता अनुदान में से रु. 48.95 करोड़ (योजनागत : रु. 0.10 करोड़ तथा योजनेत्तर : रु. 48.85 करोड़, वर्ष 2014–15 के दौरान रु. 28.78 करोड़ की अग्रिम अनुदान सहित)

मार्च, 2014 में प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान रु. 272.12 करोड़ (योजनागत : रु. 61.06 करोड़ और योजनेत्तर रु. 211.06 करोड़ तथा वर्ष के दौरान रु. 0.20 करोड़ की योजनागत अनुदान लौटाई गई) का उपयोग किया। अंतशेष रु. 91.18 करोड़ (योजनागत रु. 62.40 करोड़ तथा योजनेत्तर रु. 28.78 करोड़) रहा।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारी/सुधारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति के ध्यान में लाया गया है।

(v) पिछले पैराओं में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अधीन सूचित किया जाता है कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन–पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा आदि लेखा–पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं।

(vi) हमारे विचार से लेखाकरण नीतियों एवं लेखा नोट के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित प्रतीत होते हैं :

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कामकाज की स्थिति पर तुलन–पत्र का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं; तथा

ख. जहां तक कि उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के घाटे का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं।

कृते भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.10.2014

लेखापरीक्षा महानिदेशक
केन्द्रीय व्यय

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

   - जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पास अपना आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष है।
   - वर्ष 2013–14 के दौरान 39 यूनिटों की लेखापरीक्षा योजनाबद्ध तरीके से की गई।
   - अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त थी क्योंकि वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा के 347 पैरा दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया थे।

2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता

   - बैंक समाधान विवरण पर की गई कार्रवाई अपर्याप्त है।
   - छुट्टी यात्रा रियायत पेशगियां वर्ष 2002–03 से लंबित हैं इसे पिछली पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों (एसएआर) में भी इंगित किया गया था परन्तु इनके निपटान हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए। एक माह से अधिक बकाया पेशगियों की समीक्षा की जाए तथा इन्हें जल्द से जल्द वसूल करने/समायोजित करने के लिए कार्रवाई की जाए।

3. परिसंपत्ति के प्रतयक्ष सत्यापन की पद्धति

   - परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन वष्र 2013–14 तक किया गया था।
   - पुस्तकालय पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन जून 2013 में किया गया था तथा 652 पुस्तकों का पता नहीं लगाया जा सका। प्रत्यक्ष सत्यापन कार्य अभी जारी है।

4. वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सतयापन की पद्धति

   - लेखन सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 2013–14 के दौरान किया गया था तथा कोई विसंगति नहीं पाई गई।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

   - लेखाओं की स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को वैधानिक देय राशि के संबंध में छह माह से ऊपर कोई भुगतान बकाया नहीं थे।

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की धारा 20(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संलग्न तुलन–पत्र, आय–व्यय लेखा तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की गई है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रबंधन का है। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बेहतरीन लेखाकरण पद्धतियों, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटन नियम आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियम तथा विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन आदि पक्ष, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा इस युक्तियुक्त आश्वासन कि वित्तीय विवरण आर्थिक गलतबयानी से मुक्त है, पाने के लिए योजनागत तरीके से निष्पादित की जाए। लेखापरीक्षा परख आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन आदि द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। इस लेखापरीक्षा में हमारे विचार अभिव्यक्ति का युक्तियुक्त आधार है।

4. इस लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित किया जाता है कि :

(i) लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, रिपोर्ट में यथा अभिव्यक्त को छोड़कर, प्राप्त कर ली गई हैं।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन–पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा आदि को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर लिया गया है।

(iii) हमारे विचार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उचित लेखा–पुस्तिकाओं तथा अन्य संगत अभिलेख का रखरखाव किया हुआ है। यह ऐसी पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है।

(iv) यह और सूचित किया जाता है कि :

क. लेखापरीक्षा की सलाहनुसार लेखा परिशोधन

रु. 38.48 लाख की प्रायोजित अध्येतावृत्ति के निवेश को शामिल करने तथा संबंधित शीर्ष के अंतर्गत रु. 3. 54 लाख की प्रायोजित अध्येतावृत्ति के निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज की आय को भी दर्शाने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर लेखाओं में परिशोधन किया गया। इससे देयताएं व परिसंपत्ति में रु. 42.02 लाख की बढ़ोतरी हुई।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

त्रुटियों में सुधार कर लिया गया है तथा इनका अनुपालन लेखापरीक्षा दल को दिखाया गया है।

ख. सहायता अनुदान

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय को रु. 285.92 करोड़ (योजनागत : रु. 46.08 करोड़ तथा योजनेत्तर : रु. 239.84 करोड़) की अनुदान प्राप्त हुई तथा इसके पास रु. 77.58 करोड़ (योजनागत) का अथशेष था। वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 285.92 करोड़ की सहायता अनुदान में से रु. 48.95 करोड़ (योजनागत : रु. 0.10 करोड़ तथा योजनेत्तर : रु. 48.85 करोड़, वर्ष 2014–15 के दौरान रु. 28.78 करोड़ की अग्रिम अनुदान सहित) मार्च, 2014 में प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान रु. 272.12 करोड़ (योजनागत : रु. 61.06 करोड़ और योजनेत्तर रु. 211.06 करोड़ तथा वर्ष के दौरान रु. 0.20 करोड़ की योजनागत अनुदान लौटाई गई) का उपयोग किया। अंतशेष रु. 91.18 करोड़ (योजनागत रु. 62.40 करोड़ तथा योजनेत्तर रु. 28.78 करोड़) रहा।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित आंकड़े योजनागत/योजनेत्तर अनुदानों के तथ्यात्मक प्रतिनिधि हैं तथा अनुसूची–8 अनुदान/सहायिकी से मेल खाते हैं।

रु. 243.58 करोड़ के राजस्व खर्च (योजनागत रु. 35.23 तथा योजनेत्तर रु. 208.36) में रु. 93.36 करोड़ के सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा वर्ष के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर रु. 17.47 करोड़ का मूल्यह्रास शामिल है जिसके लिए कोई वास्तविक नकद आउटगो नहीं है।

ग. **प्रबंधन पत्र** : जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारी/सुधारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति के ध्यान में लाया गया है :

(v) पिछले पैराओं में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अधीन सूचित किया जाता है कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन–पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा आदि लेखा–पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं।

(vi) हमारे विचार से लेखाकरण नीतियों एवं लेखा नोट के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित प्रतीत होते हैं।

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कामकाज की स्थिति पर तुलन–पत्र का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं; तथा

ख. जहां तक कि उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के घाटे का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

कुलपति, जेएनयू को संबोधित पृथक प्रबंधन पत्र में व्यक्त अभ्युक्तियों का अलग से उत्तर दिया गया है।

शंकर धर

उप वित्त अधिकारी (लेखा)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पास अपना आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष है।
- वर्ष 2013–14 के दौरान 39 यूनिटों की लेखापरीक्षा योजनाबद्ध तरीके से की गई।
- अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त थी क्योंकि वर्ष 2009 की अवधि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा के 347 पैरा दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित 492 बकाया पैराओं में से 145 पैराओं का अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप निपटान किया गया। यह विश्वविद्यालय की विभिन्न यूनिटों की नियमित लेखापरीक्षा के अलावा था। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा के 347 पैरा वर्ष 2009 से बकाया नहीं थे अपितु 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ही बकाया थे।

2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता

- बैंक समाधान विवरण पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त है।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

विश्वविद्यालय ने बकाया राशियों के समाधान हेतु भरसक प्रयास किया है तथा कुछ मामलों में फिलहाल बकाया नगण्य है।

इसके अलावा, बैंक के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द समाधान न की गई शेष राशि तथा जमा राशि की वसूली के समाशोधन हेतु डेबिट का पता लगाया जा सके।

- अनुसूची 7 (चालू परिसंपत्ति, ऋण व अग्रिम) के अंतर्गत छुट्टी यात्रा रियायत (एलओसी) अग्रिम को 39,65,026/– रु. दर्शाया गया था परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए बकाया एलटीसी अग्रिम के ब्योरे के अनुसार यह 11,68,900/– रु. बनता था। 27,96/– लाख रु. के अंतर को ठीक करने की आवश्यकता है।

  यह और नोटिस किया गया कि एलटीसी अग्रिम वर्ष 2002–03 से लंबित थी। इसे पिछली पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों (एसएआर) में भी इंगित किया गया था परन्तु इनके निपटान हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए। एक वर्ष से अधिक बकाया पेशगियों की समीक्षा की जाए तथा इन्हें वसूल करने/समायोजित करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

पिछले वर्षों के दौरान स्टाफ को दी गई कुल पेशगियों में से एलटीसी अग्रिम राशि को अलग करने के प्रयास किए गए थे। समाधान–प्रक्रिया वर्ष 2014–15 के दौरान जारी रहेगी तथा समाधान की गई स्थिति अगली लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

पुरानी बकाया एलटीसी पेशगियों की वसूली करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसे अगली लेखापरीक्षा में दर्शाया जाएगा।

3. **परिसंपत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति**

- परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2013–14 तक किया गया था।
- पुस्तकालय पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन जून 2013 में किया गया था तथा 652 पुस्तकों का पता नहीं लगाया जा सका। प्रत्यक्ष सत्यापन कार्य अभी जारी है।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

कोई टिप्पणी नहीं।

4. **वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सतयापन की पद्धति**

- लेखन सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 2013–14 के दौरान किया गया था तथा कोई विसंगति नहीं पाई गई।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

कोई टिप्पणी नहीं।

5. **देय राशि के भुगतान में नियमितता**

- लेखाओं की स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को वैधानिक देय राशि के संबंध में छह माह से ऊपर कोई भुगतान बकाया नहीं थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

कोई टिप्पणी नहीं।

शंकर धर

उप वित्त अधिकारी (लेखा)